न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 19/2020

1 रामदेव पुत्र छोटूराम जाति कुमावत निवासी ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 शंकरलाल पुत्र मांगूराम जाति खटीक निवासी ग्राम पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2 तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा पचार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर दिनांक 26.12.19 बइजलास श्री अशोक कुमार आर.ए.एस. प्रकरण संख्या 77/2015 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जिसका आदेश में मुकदमा नम्बर गलत रूप से 34/2017 अंकित किया गया है।

उपस्थिति :

1. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट

–निर्णय–

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांकः— 03.12.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 77/2015 में पारित निर्णय दिनांक 26.12.2019 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट शंकरलाल ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत आवेदन प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 1813 के पूर्व दिशा में मेड के सहारे–सहारे 15मीटर चौड़ व 20 मीटर लम्बा रास्ता की मांग की है। विचारण न्यायालय में बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से खसरा नम्बर 1813 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे रास्ता दिये जाने के आदेश दिये है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेशिका में दिनांक 09.09.2019 को तहसीलदार स्वंय को मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार करने का आदेश अंकित किया है। दिनांक 14.10.2019 की आदेशिका में रिपोर्ट प्राप्त होने का अंकन है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट स्पष्ट नही है। इसमें प्रस्तावित रास्ता अपीलांट के खेत के मध्य में से प्रस्तावित कर खेत दो टुकड़ो में विभाजित कर दिया है। मौका रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शे से स्पष्ट है कि प्रस्तावित एवं विचाराधीन निर्णय से दिया गया रास्ता विधि सम्मत नही है। प्रस्तुत प्रकरण में यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 25.10.2018 में अंकन किया गया है कि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 26.10.2018 प्राप्त हो चुकी है। विचारण न्यायालय का यह अंकन स्वीकार योग्य नही है क्योंकि दिनांक 26.10.2018 की रिपोर्ट एक दिन पूर्व दिनांक 25.10.2018 को प्राप्त होना संभव नही है। अत अपील स्वीकार की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई विधि सम्मत रूप से विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अत अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेशिका में दिनांक 09.09.2019 को तहसीलदार स्वंय को मौके पर जाकर रिपोर्ट तैयार करने का आदेश अंकित किया है। दिनांक 14. 10.2019 की आदेशिका में रिपोर्ट प्राप्त होने का अंकन है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट स्पष्ट नही है। इसमें प्रस्तावित रास्ता अपीलांट के खेत के मध्य में से प्रस्तावित कर खेत दो टुकड़ो में विभाजित कर दिया है। मौका रिपोर्ट में अंकित नजरी नक्शे से स्पष्ट है कि प्रस्तावित एवं विचाराधीन निर्णय से दिया गया रास्ता विधि सम्मत नही है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय की आदेशिका दिनांक 25.10.2018 में अंकन किया गया है कि तहसीलदार की मौका रिपोर्ट दिनांक 26.10.2018 प्राप्त हो चुकी है। विचारण न्यायालय का यह अंकन स्वीकार योग्य नही है क्योंकि दिनांक 26.10.2018 की रिपोर्ट एक दिन पूर्व दिनांक 25. 10.2018 को प्राप्त होना संभव नही है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण में पीठासीन अधिकारी स्वंय मौका निरीक्षण कर मौका रिपोर्ट तैयार कर धारा 251ए के विधिक प्रावधानो की पालना कर पुन गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.12.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 03.12.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर